तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल0आर0/3922/2003/बीकानेर बृजलाल बनाम मदनलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.02.2023	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **<u>उपस्थित</u>** श्री जे0के0 पंत, अधिवक्ता प्रार्थी अधिवक्ता अप्रार्थी अनुपस्थित अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। **<u>निर्णय</u>** प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.07.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित आराजी ख0नं0 250/14 रकबा 40 बीघा का खातेदार धोकलराम है एवं यह उसकी खातेदारी भूमि है। धोकलराम की मृत्यु के पश्चात दिनांक 10.06.1996 को ग्राम पंचायत महादेववाली द्वारा धोकलराम की जगह रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2 का नाम जरिये नामांतरकरण संख्या 455 दर्ज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण ने प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे उन्होने अपने निर्णय दिनांक 10.06.1996 से अपील को यह कहते हुये अस्वीकार कर दिया कि प्रार्थी/अपीलांट अपने समर्थन में धोकलराम के जायज वारिस होने को प्रमाणित नहीं कर पाया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण ने द्वितीय अपील अति0 संभागीय आयुक्त, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे उन्होने अपने निर्णय दिनांक 24.07.2003 से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से ग्रसित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस निगरानी में सुनी गयी।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल0आर0/3922/2003/बीकानेर बृजलाल बनाम मदनलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 धोकलाराम के जायज वारिसान नहीं है। अप्रार्थी की जाति विश्नोई है जबकि प्रार्थीगण एवं मृतक धोकलाराम की जाति भील है। ग्राम पंचायत महादेववाली न वारिसान बाबत गलत प्रमाण पत्र जारी किया है। ग्राम पंचायत को वारिसान प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि ग्राम पंचायत ने प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व प्रार्थी को ना तो कोई नोटिस दिया एवं ना नोटिस की तामिल करवाई और एकतरफा में ही अप्रार्थीगण के नाम नामांतरकरण स्वीकृत कर दिया। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि प्रार्थी ने अपील के दौरान मतदाता सूची व राशन कार्ड तथा अन्य सबूत पेश किये। जिससे स्पष्ट है कि धोकलाराम शादीशुदा नहीं था और कंवारा ही फौत हो गया था। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रार्थीगण ही उसके उत्तराधिकारी है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय अपास्त करने का निवेदन किया। हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि :- " अपील इस आधार पर खारिज की कि उसने सिविल न्यायालय का कोई भी प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है जिससे यह मान लिया जाये कि अपीलांट स्व0 धोकलराम का पुत्र है। चूकि उपखण्ड अधिकारी के समक्ष जो भी दस्तावेजात या शपथ पत्र पेश हुये है उनका प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है एवं अपील में	

>तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल0आर0/3922/2003/बीकानेर बृजलाल बनाम मदनलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रति परीक्षण किया जाना संभव भी नहीं है। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 धोकलराम के पुत्र है या नहीं यह बिंदू तो विस्तृत जांच से ही तय किया जा सकता है एवं जैसा कि लायक वकील रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत आर0आर0डी0 1992 पृष्ठ 360, आर0आर0डी0 1990 पृष्ठ 649 एवं आर0आर0डी0 1986 पृष्ठ 590 तथा आर0एल0डब्ल्यु0 2002 राजस्थान पृष्ठ 521 की नजीर में माना गया है कि नामांतरकरण की कार्यवाही में पक्षकारों के हक का निर्धारण किया जाना संभव नहीं है एवं हक का निर्धारण जो राजस्व वाद के द्वारा ही किया जा सकता है। नामांतरकरण को नियमित वाद के द्वारा चुनौती दी जा सकती है। नामांतरकरण की कार्यवाही में हक संबंधी जटिल जांच की जानी संभव नहीं है। इस मामले में ग्राम पंचायत महोदववाली जिसके द्वारा नामांतरकरण स्वीकृत किया गया, के समक्ष सरपंच ग्रम पंचायत सतेरण जिला नागौर जहां कभी धोकलराम निवासी था, का प्रमाण पत्र इस आशय पर पेश किया गया कि रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2 उसके वारिस है इस आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरकरण स्वीकार किया गया। ग्राम पंचायत महादेववाली के समक्ष यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत होने के बाद नामांतरकरण रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के हक में दर्ज नहीं करने का कोई आधार भी नहीं था। साथ ही यह बिंदू कि मदन लाल एवं मोहनराम स्व0 धोकलाराम के जायज पुत्र है या नहीं, का निर्धारण तो विस्तृत जांच से ही किया जा सकता है जबकि नामांतरकरण की कार्यवाही एवं अपील में विस्तृत जांच किया जाना संभव नहीं है। यदि अपीलांट यह समझते है कि मदनलाल एवं मोहनराम धोंकलराम के जायज पुत्र नहीं है तो वे इस नामांतरकरण को जरिये नियमित राजस्व वाद के सक्षम न्यायालय में चुनौती दे सकते है। उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला द्वारा अपील संख्या 3/1997 में पारित निर्णय नियमित वाद को प्रभावित नहीं करेगा।''	

>तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल0आर0/3922/2003/बीकानेर बृजलाल बनाम मदनलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इस प्रकार इस निगरानी एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमियों के संबंध में संबंधित ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर नामांतरकरण स्वीकार किया गया था। जहां तक मदनलाल एवं मोहनलाल स्व0 धोकलराम के जायज पुत्र है या नहीं इस बिंदू की पूर्ण एवं विस्तृत जांच नियमित वाद के अंतर्गत ही की जा सकती है। नामांतरकरण की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही होती है और संक्षिप्त कार्यवाही में पूर्ण एवं विस्तृत जांच किया जाना संभव नहीं होता है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा पारित निर्णय विधिसंगत पाया जाता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस प्रकरण में समवर्ती निष्कर्ष व समवर्ती निर्णय पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय के निगरानीधीन निर्णय में हम कोई गंभीर विधिक त्रुटि या अनियमितता नहीं पाते है। परिणामस्वरूप यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	